151

संख्याः 1233/VIII/11–09(कराबीयो)/2011टी0सी0

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
देहरादून।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून, दिनाँक 26 सितम्बर, 2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अवचनबद्ध मदों की द्वितीय त्रैमासिक हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक शासनादेश संख्याः–765/VIII(कराबीयो)/2011दिनांक 17 जून, 2011 एवं आपके पत्र संख्याः–3188/कराबीयो/2011–12 दिनांक 13 सितम्बर, 2011 के संदर्भ में तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना हेतु ब्यौरेवार अनुमान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या–16 में लेखाशीर्षक–2210 के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों की संलग्न विवरणानुसार **आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 8,10,000 (रुपये आठ लाख दस हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या 16 के मुख्य लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

–2–

4— प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2012 तक करते हुये प्रत्येक माह का बी0एम0–13 शासन में उपलब्ध कराया जाएगा।

5— अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव त्रैमासिक आधार पर व्यय विवरण सहित शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जाय।

6— उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव

संख्याः 1233 **(1)/VIII/11–09(कराबीयो)/2011टी0सी0, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
3–एनआईसी, सचिवालय।
4–वित्त अनुभाग–5।
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव

शासनादेश संख्याः– /VIII/11–09(कराबीयो)/2011 टी0सी0,दिनांक सितम्बर, 2011 का संलग्नक

अनुदान संख्याः 16 धनराशि हजार रूपये में

(I) लेखाशीर्षक

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति
102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना
01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (88ः के0सं0)
0103 अधिष्ठान (निदेशालय)

क्र0स0	मद संख्या एवं मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राविधानित धनराशि	द्वितीय त्रैमासिक हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1.	04–यात्रा व्यय	15	4
2.	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10	3
3.	08–कार्यालय व्यय	60	15
4.	11–लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	80	20
5.	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	70	18
6.	13–टेलीफोन पर व्यय	25	7
7.	15–गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल अदि की खरीद	70	18
8.	16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	80	20
9.	19–विज्ञापन, बिक्री व विख्यापन व्यय	50	13
10.	22– आतिथ्य व्यय/भत्ता आदि	50	13
11.	26–मशीन और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	200	50
12.	42–अन्य व्यय	50	13
13.	44–प्रशिक्षण व्यय	50	13
14.	45–अवकाश यात्रा व्यय	10	3
15.	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय/साफ्टवेयर	100	25
16.	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	50	13
	योग	970	248

(रुपये दो लाख अड़तालीस हजार मात्र)

(II) लेखाशीर्षक

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति
102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना
01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (88: के0सं0)
0104 क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान श्रम विभाग द्वारा

(धनराशि हजार रूपयें में)

क्र0सं0	मद संख्या एवं मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1.	04–यात्रा व्यय	100	25
2.	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10	3
3.	07–मानदेय	40	10
4.	08–कायोलय व्यय	100	25
5.	11–लेखन सामग्री एवं फर्मो की छपाई	110	28
6.	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	120	30
7.	13–टेलीफोन पर व्यय	40	7
8.	16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	800	200
9.	19–विज्ञापन बिक्री व विज्ञापन व्यय	10	3
10.	26–मशीन और सज्जा/उपकरण और संयत्र	400	100
11.	40–औषाधालय सम्बंधी साज–सज्जा	100	25
12.	42–अन्य व्यय	100	25
13.	44–प्रशिक्षण व्यय	50	13
14.	45–अवकाश यात्रा व्यय	20	5
15.	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय/साफ्टवेयर	200	50
16.	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	50	13
	योग–	2250	562

(रुपये पांच लाख बासठ हजार मात्र)

महायोग:– रु0 8,10,000 (रुपये आठ लाख दस हजार मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव